उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिक[illegible]ार्यालय गुमला।

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सरकार
बनाम
विकास चन्द्र रवि

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **30/2020–21**

वाद का प्रकार :– अधिहरण (Confiscation)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक–2232/अप0 शा0 दिनांक–29.09.2020 द्वारा घाघरा थाना काण्ड सं0–05/2020 दिनाक–16.07.2020 धारा– 414 भा0द0वि0 एवं 33 भरतीय वन अधिनियम –1927 के आलोक में अवैध रुप से गम्हार लकडी को पिकअप गाडी में ले जाने के आरोप में पिकअप गाडी नं0– JH01CZ-2836 को राजसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

उपरोक्त अधिहरण वाद सं0–30/2020–21 व्यवहार न्यायालय में लंबित होने के कारण संबंधित न्यायालय में वाद का निष्पादन पूर्ण होने तक वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को निदेश दिया जाता है कि व्यवहार न्यायालय में वाद का निष्पादन होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त उक्त वाद पर पुनः सुनवाई हेतु आवश्यक कार्य की जा सके।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक गुमला/सहायक लोक अभियोजक, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

22.03.22
उपायुक्त,
गुमला।

22.03.22
उपायुक्त,
गुमला।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.27 13:05:16 +05:30
Location: 192.168.1.49